मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1991 (चैत्र 4, 1913)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 472/का.एक (2) 57-अड़तालीस-90 (सं.का.) दिनांक 20 मार्च, 1991 जिसके द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम 1978 में संशोधन किये गये है, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़, जिले के तालमऊ ग्राम में हुई डकैती की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अशोक शुक्ला, सदस्य, इंदौर जिले के ग्राम बजरंगपुर निवासी एक व्यक्ति की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से हुई मौत की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य, बाणसागर परियोजना की देवलौंद डिवीजन के अधिकारियों द्वारा मशीनों की अकारण की गई खरीदी के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सोमप्रकाश गिरी, सदस्य, रायपुर जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र के नगरी परिक्षेत्र में लकड़ी की हो रही अवैध कटाई की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सभापति, लोक लेखा समिति का 133 (II) वां, 135 वां, 136-वां तथा 137 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) डॉ. सीताशरण शर्मा, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) **डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -**

(क) जिला भिण्ड के ग्राम बिजपुर में पशु औषधालय खोले जाने के संबंध में,

(ख) ग्राम मुरावली में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में,

(ग) ग्राम आलमपुर में प्रसूतिगृह स्थापित कराये जाने के संबंध में,

(घ) ग्राम अचलपुरा में पशु औषधालय खोले जाने के संबंध में,

(ङ) ग्राम मेहरा बुजुर्ग में खरन्जा एवं नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(च) ग्राम रिनिया के हैण्ड पंपों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में,